

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

मांग संख्या 69

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	4345.10	160.00	4505.10	4868.98	160.02	5029.00	3894.98	110.02	4005.00	4657.75	153.02	4810.77
वसूलियां	-73.45	...	-73.45
प्राप्तियां
निवल	4271.65	160.00	4431.65	4868.98	160.02	5029.00	3894.98	110.02	4005.00	4657.75	153.02	4810.77
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	22.51	...	22.51	24.99	...	24.99	25.99	...	25.99	27.99	...	27.99
2. अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम	82.05	...	82.05	98.00	...	98.00	13.00	...	13.00	98.00	...	98.00
3. लोक निर्माण कार्यों संबंधी पूंजीगत परिव्यय												
3.01 कार्यालय इमारत - इमारत का निर्माण	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	104.56	...	104.56	122.99	0.01	123.00	38.99	0.01	39.00	125.99	0.01	126.00
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
4. कौमी बक्फ बोर्ड तरकियात योजना और शहरी बक्फ संपत्ति विकास योजना	14.98	...	14.98	21.00	...	21.00	12.00	...	12.00	16.00	...	16.00
5. शिक्षा सशक्तिकरण												
5.01 अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	1324.85	...	1324.85	1330.00	...	1330.00	1330.00	...	1330.00	1378.00	...	1378.00
5.02 अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	428.77	...	428.77	535.00	...	535.00	535.00	...	535.00	468.00	...	468.00
5.03 पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता सह साधन छात्रवृत्ति (अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट)	285.62	...	285.62	400.00	...	400.00	400.00	...	400.00	325.00	...	325.00
5.04 अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप	100.00	...	100.00	175.00	...	175.00	100.00	...	100.00	99.00	...	99.00
5.05 अल्पसंख्यकों के लिए मुफ्त कोचिंग और संबद्ध योजनाएं	13.97	...	13.97	50.00	...	50.00	25.00	...	25.00	79.00	...	79.00
5.06 विदेशी अध्ययनों के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी	14.43	...	14.43	30.00	...	30.00	22.00	...	22.00	24.00	...	24.00
5.07 यूपीएससी, एसएससी, राज्य लोक सेवा आयोग आदि द्वारा आयोजित प्रीलिम्स को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए सहायता	8.01	...	8.01	10.00	...	10.00	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00
जोड़- शिक्षा सशक्तिकरण	2175.65	...	2175.65	2530.00	...	2530.00	2420.00	...	2420.00	2381.00	...	2381.00
6. कौशल विकास और आजीविका शैली												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
6.01 कौशल विकास पहल	175.52	...	175.52	250.00	...	250.00	190.00	...	190.00	276.00	...	276.00
6.02 नई मंजिल - एकीकृत शैक्षिक और जीवन शैली पहल	34.44	...	34.44	120.00	...	120.00	60.00	...	60.00	87.00	...	87.00
6.03 पारंपरिक कला / विकास के लिए शिल्प (यूएसटीटीएडी) में कौशल और प्रशिक्षण उन्नयन	54.48	...	54.48	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	47.00	...	47.00
6.04 अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए योजना	7.10	...	7.10	10.00	...	10.00	6.00	...	6.00	8.00	...	8.00
6.05 एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य चैनेल्टाइजिंग एजेंसियों (एससीए) को सहायता अनुदान	1.92	...	1.92	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00
6.06 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास विज्ञापन वित्त निगम (एनएमडीएफसी) को इकटिरी का योगदान	...	160.00	160.00	...	160.00	160.00	...	110.00	110.00	...	153.00	153.00
<i>जोड़- कौशल विकास और आजीविका शैली</i>	<i>273.46</i>	<i>160.00</i>	<i>433.46</i>	<i>442.00</i>	<i>160.00</i>	<i>602.00</i>	<i>317.00</i>	<i>110.00</i>	<i>427.00</i>	<i>420.00</i>	<i>153.00</i>	<i>573.00</i>
7. अल्पसंख्यकों के विशेष कार्यक्रम												
7.01 अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं के अनुसंधान / अध्ययन, प्रचार, निगरानी और मूल्यांकन	24.97	...	24.97	50.00	...	50.00	35.00	...	35.00	41.00	...	41.00
7.02 अल्पसंख्यकों की संस्कृति और विरासत के संरक्षण और सुरक्षा के लिए हमारी धरोहर	0.70	...	0.70	3.00	...	3.00	5.20	...	5.20	2.00	...	2.00
7.03 छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी में गिरावट को नियंत्रित करने के लिए योजना	3.86	...	3.86	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	3.00	...	3.00
<i>जोड़- अल्पसंख्यकों के विशेष कार्यक्रम</i>	<i>29.53</i>	<i>...</i>	<i>29.53</i>	<i>57.00</i>	<i>...</i>	<i>57.00</i>	<i>44.20</i>	<i>...</i>	<i>44.20</i>	<i>46.00</i>	<i>...</i>	<i>46.00</i>
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	2493.62	160.00	2653.62	3050.00	160.00	3210.00	2793.20	110.00	2903.20	2863.00	153.00	3016.00
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
8. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	9.23	...	9.23	11.00	...	11.00	9.29	...	9.29	12.00	...	12.00
9. भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी	1.88	...	1.88	3.00	...	3.00	2.13	...	2.13	2.77	...	2.77
जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय	11.11	...	11.11	14.00	...	14.00	11.42	...	11.42	14.77	...	14.77
स्वायत्त निकाय												
10. मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ)	37.50	...	37.50	82.00	...	82.00	80.00	...	80.00	90.00	...	90.00
अन्य												
11. वास्तविक वसूली	-46.61	...	-46.61
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	2.00	...	2.00	96.00	...	96.00	91.42	...	91.42	104.77	...	104.77
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं												
अल्पसंख्यक विकास अम्बेला कार्यक्रम												
12. शिक्षा सशक्तीकरण												
12.01 पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति (स्नातक और स्नातकोत्तर)	-26.82	...	-26.82
13. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम	1698.29	...	1698.29	1599.99	0.01	1600.00	971.37	0.01	971.38	1389.99	0.01	1390.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
14. मदरसा और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना	174.00	...	174.00
जोड़-अल्पसंख्यक विकास अम्ब्रैला कार्यक्रम	1671.47	...	1671.47	1599.99	0.01	1600.00	971.37	0.01	971.38	1563.99	0.01	1564.00
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	1671.47	...	1671.47	1599.99	0.01	1600.00	971.37	0.01	971.38	1563.99	0.01	1564.00
कुल जोड़	4271.65	160.00	4431.65	4868.98	160.02	5029.00	3894.98	110.02	4005.00	4657.75	153.02	4810.77
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़-सामान्य सेवाएं	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
सामाजिक सेवाएं												
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2311.91	...	2311.91	2656.72	...	2656.72	2429.19	...	2429.19	2521.59	...	2521.59
3. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	377.19	...	377.19	488.90	...	488.90	323.50	...	323.50	488.60	...	488.60
4. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	22.51	...	22.51	24.99	...	24.99	25.99	...	25.99	27.99	...	27.99
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय	...	160.00	160.00	...	144.01	144.01	...	94.01	94.01	...	153.01	153.01
जोड़-सामाजिक सेवाएं	2711.61	160.00	2871.61	3170.61	144.01	3314.62	2778.68	94.01	2872.69	3038.18	153.01	3191.19
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	487.65	...	487.65	451.20	...	451.20	463.25	...	463.25
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	1560.04	...	1560.04	1205.17	...	1205.17	659.55	...	659.55	1150.52	...	1150.52
8. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	5.55	...	5.55	5.55	...	5.55	5.80	...	5.80
9. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	16.00	16.00	...	16.00	16.00
जोड़-अन्य	1560.04	...	1560.04	1698.37	16.00	1714.37	1116.30	16.00	1132.30	1619.57	...	1619.57
कुल जोड़	4271.65	160.00	4431.65	4868.98	160.02	5029.00	3894.98	110.02	4005.00	4657.75	153.02	4810.77

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को इक्विटी अंशदान	160.00	509.59	669.59	160.00	...	160.00	110.00	681.51	791.51	153.00	779.59	932.59
जोड़	160.00	509.59	669.59	160.00	...	160.00	110.00	681.51	791.51	153.00	779.59	932.59

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय पर व्यय के लिए है।
2. **अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम:** यह प्रावधान भारत और सऊदी अरब में हज प्रबंधन के लिए है।
3. **लोक निर्माण कार्यों संबंधी पूंजीगत परिव्यय:** कार्यालय भवन के निर्माण के लिए सार्वजनिक निर्माण पर पूंजी परिव्यय
4. **कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियात योजना और शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना:** कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियात योजना

(क्यूडब्ल्यूवीटीएस) और शहरी वक्फ सम्पत्ति विकास योजना (एसडब्ल्यूएसवीके) रिकॉर्ड्स के कम्प्यूटरीकरण, राज्य वक्फ बोर्डों के सुदृढीकरण और खाली शहरी वक्फ भूमि को अतिक्रमणकारियों से बचाने के लिए और इसे व्यावसायिक आय के लिए विकसित करने के लिए इसे विकसित करने के लिए लागू किया जा रहा है ताकि क्रमशः कल्याणकारी गतिविधियों को व्यापक बनाया जा सके। डब्ल्यूएसएसआई मॉड्यूल, जीआईएस मैपिंग ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी में डेटा एंट्री करने, वक्फ संपत्ति के जीआईएस मैपिंग, सेंट्रलाइज्ड कंपाउंड फैसिलिटी (सीसीएफ) के रखरखाव, एसडब्ल्यूवी के बेहतर प्रशासन के लिए ईआरपी सॉल्यूशन के लिए। एसडब्ल्यूवी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा की स्थापना, मुतव्वली / प्रबंधन समिति को नकद पुरस्कार, एसडब्ल्यूवी के प्रशिक्षण और प्रशासनिक लागत को पूरा करने के लिए कानूनी और लेखा अनुभाग को मजबूत करना।

एसडब्ल्यूएसवीवाई तहत, शहरी वक्फ भूमि पर आर्थिक रूप से व्यवहार्य इमारतों जैसे वाणिज्यिक परिसरों, मैरिज हॉल, अस्पतालों, कोल्ड स्टोरेज आदि के लिए देश में विभिन्न वक्फ संस्थानों को व्याज मुक्त ऋण देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय वक्फ परिषद दोनों योजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।

5.01. **अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:** मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय के उन विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है, जो एक समुचित प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 10 तक की शिक्षा के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।

5.02. **अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति:** मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय के उन विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है, जो एक समुचित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित कक्षा 11वीं व 12वीं स्तरों में अध्ययनों के लिए और स्नातक, स्नातकोत्तर तथा पी.एचडी स्तर पर सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं।

5.03. **पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता सह साधन छात्रवृत्ति (अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट):** यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों के उन विद्यार्थियों को दी जाती है, जो एक समुचित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति से संबंधित पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।

5.04. **अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मीलाना आजाद राष्ट्रीय फैलोशिप:** इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को एम॰फिल॰ तथा पी॰एचडी॰ जैसी उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए वित्तीय सहायता स्वरूप अध्येतावृत्ति प्रदान करने का है। इस योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को शामिल किया गया है। अध्येतावृत्ति नियमित और पूर्णकालिक एम॰फिल॰ तथा पी॰एचडी॰ पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत शोध छात्रों को प्रदान की जा रही यूजीसी अध्येतावृत्ति के अनुरूप है।

5.05. **अल्पसंख्यकों के लिए मुफ्त कोचिंग और संबद्ध योजनाएं:** इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके ज्ञान, कौशल में वृद्धि करके उन्हें सरकारी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में प्रतियोगिता परीक्षाओं/चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा ख्याति प्राप्त संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए सहायता करना है।

5.06. **विदेशी अध्ययनों के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी:** इस योजना को विदेश में उच्च अध्ययन करने के लिए चुने गए अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को शैक्षिक ऋणों पर ब्याज इमदाद प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है।

5.07. **यूपीएससी, एसएससी, राज्य लोक सेवा आयोग आदि द्वारा आयोजित प्रीलिम्स को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए सहायता:** इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), राज्य लोक सेवा आयोगों (पीएससी) और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की समूह 'क' और 'ख' की प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं, को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए सिविल सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाना है जो इस समय देश में जनसंख्या में अल्पसंख्यकों के अनुपात से काफी कम है।

6.01. **कौशल विकास और आजीविका शैली:** इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों को जिनके पास कोई कौशल नहीं है, को कौशल प्रदान करते हुए समग्र उन्नति के लिए शहरी और ग्रामीण आजीविका में सुधार करना है। जिनके पास पहले ही कौशल है उनके लिए इस योजना का उद्देश्य उनके रोजगार अवसरों को बढ़ाने के लिए उनके कौशल का उन्नयन करना और उन्हें प्रत्यक्ष-पत्र प्रदान करना भी है, ताकि अपने उद्यमों का विस्तार करने में सहायता के लिए ऐसे व्यक्तियों की ऋण तक पहुंच हो सके।

6.02. **कौशल विकास और आजीविका शैली:** योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:- (i) "नई मंजिल" का उद्देश्य गरीब अल्पसंख्यक युवकों को रचनात्मक तरीके से संबद्ध करना और सतत तथा लाभप्रद रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए उनकी सहायता करना है जिससे उन्हें मुख्य धारा की आर्थिक गतिविधियों के साथ जुड़ने में सुविधा हो सके। (ii) अल्पसंख्यक समुदायों से उन युवकों को प्रेरित करना जो स्कूल ड्रॉपआउट हैं और उन्हें 8वीं अथवा 10वीं कक्षा तक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) या राज्य सरकार की अन्य मुक्त विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से औपचारिक शिक्षा और प्रमाण-पत्र प्रदान करना। (iii) बाजार संचालित कौशल में युवकों को एकिकृत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। (iv) प्रशिक्षित युवकों में से कम से कम 70% का ऐसी नौकरियों में प्लेसमेंट कराना जिससे उन्हें बुनियादी न्यूनतम मजदूरी मिले और उन्हें भविष्य निधि तथा ईएसआई आदि जैसी अन्य सामाजिक संरक्षण हकदारियां प्रदान करे। (v) स्वास्थ्य तथा जीवन कौशल में जागरूकता और सुग्राहिता पैदा करना।

6.03. **कौशल विकास और आजीविका शैली:** हमारे देश की परंपरागत कलाओं और शिल्पों को संरक्षित करने तथा अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित परंपरागत दस्तकारों/शिल्कारों के क्षमता निर्माण के लिए उस्ताद (विकास के लिए पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशल तथा प्रशिक्षण का उन्नयन) नामक एक नई योजना अनुमोदित की गई है। यह योजना एक तरफ देश की समृद्ध विरासत को संरक्षित करेगी तथा दूसरी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ संबंध स्थापित करेगी तथा श्रमिक की प्रतिष्ठा सुनिश्चित करेगी।

6.04. **कौशल विकास और आजीविका शैली:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रगति के लाभ वंचित महिलाओं तक पहुंचे, ऐसी महिलाओं को नेतृत्व प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान किया जा रहा है, ताकि वे अपने घर और समुदाय के दायरे से बाहर आने में सक्षम हो सकें और विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के अधीन उन्हें उपलब्ध सेवाओं, कौशलों और अवसरों के आकलन में नेतृत्व की भूमिका निभा सकें।

6.05. **एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) को सहायता अनुदान:** राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) अपने कार्यों का संचालन राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से करता है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सहायता अनुदान उनकी क्षमताओं और प्रचालनों को सद्दृढ़ करने के लिए दिया जाता है।

6.06. **कौशल विकास और आजीविका शैली:** यह प्रावधान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) को शेयर पूंजी प्रदान करने के लिए है।

7.01. **अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं के अनुसंधान / अध्ययन, प्रचार, निगरानी और मूल्यांकन:** इसका उद्देश्य मंत्रालयों के कार्यक्रमों, योजनाओं और पहल की जानकारी के प्रसार के लिए 15 प्वाइंट कार्यक्रम, अन्य क्षेत्र सहित अन्य अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए

कार्यक्रमों और योजनाओं का अध्ययन, मूल्यांकन और मॉनिटर करना है और साथ ही अध्ययन के लिए गहन मल्टी मीडिया अभियान भी चलाया जा रहा है।

7.02. **अल्पसंख्यकों की संस्कृति और विरासत के संरक्षण और सुरक्षा के लिए हमारी धरोहर:** हमारी धरोहर नामक योजना भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के अंतर्गत भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत का संरक्षण करेगी।

7.03. **छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी में गिरावट को नियंत्रित करने के लिए योजना:** इस योजना को सहायता-अनुदान के रूप में 100% केन्द्रीय वित्त-पोषण के साथ एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू है। इस योजना को संबंधित छोटे अल्पसंख्यक समुदाय के संगठनों/एनजीओ/सोसाइटियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की घटती जनसंख्या के रूझान को रोकना है।

8. **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग:** राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए यह प्रावधान है।

9. **भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी:** भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए यह प्रावधान है।

10. **मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ):** मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान एक स्वैच्छिक, गैर राजनीतिक, गैर-लाभ अर्जक सोसाइटी सामाजिक सेवा संगठन है जिसकी स्थापना शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी समेकित निधि के निवेश पर अर्जित व्याज ही प्रतिष्ठान की आय का स्रोत है। प्रतिष्ठान की योजनाएं मौजूदा संस्थानों के विस्तार और उन्नयन तथा पिछड़े अल्पसंख्यकों की शैक्षिक स्थिति में सुधार करने के लिए है।

13. **प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम:** पीएमजेवाईके (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) एक विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। पीएमजेवाईके का उद्देश्य विकास को संबोधित करना है, चयनित अल्पसंख्यक एकाग्रता क्षेत्रों में कमी (एमसीए यानी चिन्हित जिलों के मुख्यालय ब्लॉक / कस्बों / गांवों के समूह जो अल्पसंख्यक आबादी वाले गांवों की संख्या अपेक्षाकृत कम है) प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वयन के लिए एमएसडीपी को पुनर्जीवित और पुनर्जीवित किया गया है

14. **मदरसा और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना:** मदरसों में आधुनिक विषयों, शिक्षक प्रशिक्षण और अल्पसंख्यकों के संस्थानों में स्कूल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।